न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:– 91/2015(2015/00060)

अनवान

1. नैनानाथ आत्मज हजारीनाथ जी नाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा बजरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर लक्ष्मणनाथ आत्मज मोहननाथ जी नाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. नारायणनाथ आत्मज धन्नानाथ जी योगी निवासी छापरी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. बंशी रावल आत्मज नैनु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनील जैन — **अधिवक्ता वादी**
2. महेश दाधीच — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 25.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बागड मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का में हाल आराजी संख्या 780/505 रकबा 0.54 है0 जिसके सा आराजी सख्या 316/326/13 होकर उक्त आराजी को विपक्षी संख्या 1 ने कूट रचित विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम अभिलिखित करवा दी उसके उपरान्त विपक्षी संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विपक्षी संख्या 02 को विक्रय कर उसका नाम भी राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करवा दिया जब कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा व दखल प्रार्थी का ही है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सख्या 01 को कभी भी वादग्रस्त आराजियात विक्रय नही की गई एंव ना ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13/12/2001 का निष्पादन कराया। विक्रय फर्जी लिपिबद्ध कराते हुऐ उस पर प्रार्थी के फर्जी अंगूठा निशानी अंकित की है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया के अनुसार नैनानाथ का निधन 16/11/2015 को हो चुका है अतः मुख्तियार नामा दिनांक 24/10/2015 स्वतः निरस्त हो चुका है। विपक्षी उत्तरदाता द्वारा 03/09/2015 को विवादग्रस्त आराजियात क्रय की गई है एवं वर्तमान में विपक्षी के नाम दर्ज है मौके पर विपक्षी संख्या 02 काश्त लाभ ले रहा है। विपक्षी संख्या 2 सद्भावी क्रेता है प्रार्थी की नियत में बद्नियती आ जाने से प्रार्थी ने 15 वर्षों बाद झूठा वाद पेश किया है। क्रय शुदा भूमि पर पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है।प्रार्थी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र फर्जी होता तो 15 वर्षों में प्रार्थी एतराज व उज्र प्रस्तुत करता। जो कि नही किया गया। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्ती का अधिकार नही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं मनन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निम्न के तीन बिन्दुओं का विवेचन निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थी खातेदार नही है अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही ।

सुविधा का सन्तुलन – उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही।

अपूरणीय क्षति – यदि वादग्रस्त आराजियात को अन्य किसी को हस्तान्तरित की जाती है तो

प्रार्थी को ऐसी कोई भारी अपूरणीय क्षति नही होगी जिसका आंकलन नकदी में नही दिया जा सके। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख **25.05.2018** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा